तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
09/11/16	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी ~~छुट्टी~~ /~~अन्य कार्य~~ में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21-12-16 को पेश हो।
21/12/16	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को सुनवाई हेतु अदालती नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 30-01-2017 को पेश हो।
30/01/17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी छुट्टी /~~अन्य कार्य~~ में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20.02.17 को पेश हो।
20/02/17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी ~~छुट्टी~~ /~~अन्य कार्य~~ में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20.04.2017 को पेश हो।
20/04/17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी ~~छुट्टी~~ /~~अन्य कार्य~~ में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25-05-17 को पेश हो।
07/12/17	रुकजाई ~~प्रोसीडिंग~~ से पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी ~~छुट्टी~~ /~~अन्य कार्य~~ में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 09.02.18 को पेश हो।
09/02/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी ~~छुट्टी~~ /~~अन्य कार्य~~ में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05-05-18 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
05/05/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में रखे जाने योग्य पायी जाकर अटल सेवा केन्द्र पायडी में पेश है। 28-05-18	
28/05/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन एम./अनुविभा. पीठासीन अधिकारी दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 07.09.18 को पेश हो।	
07/09/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन एम./अनुविभा. पीठासीन अधिकारी दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16-10-18 को पेश हो।	
16/10/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन एम./अनुविभा. पीठासीन अधिकारी दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21-01-19 को पेश हो।	
21/01/19 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में कई बार आवाज लगवाई गई। वकुलाय उभय पक्ष अथवा पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आया। अतः प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Scanned by CamScanner